दैनिक भास्कर

दैनिक भास्कर

अब बिहार में स्लीपर बसों को भी मिलेगा लाइसेंस

परिवहन विभाग के प्रस्ताव को सीएम ने दी मंजूरी

मंडे पॉलिटिक्स

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

राज्य में आधुनिक सुविधाओं से लैस स्लीपर बसों का परिचालन शुरू होगा। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ इन बसों का निबंधन शुरू हो जाएगा। परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इन बसों का परिचालन शुरू होने से यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी। राज्य में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।

अबतक नहीं होता था निबंधन : बिहार में अभी तक स्लीपर बसों के परिचालन के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं थी। हालांकि, अन्य राज्यों में निबंधित स्लीपर बसों का परिचालन हो रहा था। स्लीपर बसों का परिचालन नहीं होने से बिहार का पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा था। वाराणसी के रास्ते बड़ी संख्या में स्लीपर बसें बोधगया आती हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद अब बिहार में इन बसों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और परमिट भी जारी किया जाएगा। विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी व मोटरयान निरीक्षक को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

लंबी दूरी की यात्रा होगी ज्यादा आरामदायक

स्लीपर बसों के परिचालन शुरू होने से लंबी दूरी के यात्रियों का सफर आरामदायक होगा। पटना से पूर्णिया, रांची, जमशेदपुर, वाराणसी के अलावा दिल्ली और कोलकाता के रूटों पर चलने वाली बसों के यात्रियों को सुविधा होगी। इन रूटों पर अन्य राज्य में निबंधित स्लीपर बसों का परिचालन हो रहा है।